समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 173/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री दामोदर ठाकुर, पिता- श्री शिवनन्दन ठाकुर, सा0-मंगरवाड़ा, थाना- कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 16/1967 (कुमारखण्ड थाना) को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई थी।

श्री दामोदर ठाकुर के पुत्र श्री श्याम ठाकुर, पिता- स्व0 दामोदर ठाकुर , सा0-मंगरवाड़ा, थाना- कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता- दामोदर ठाकुर की मृत्यु हो चुकी है और धारित शस्त्र दिनांक 05-12-2001 से मे0 कोशी गन हाउस, सुपौल में जमा है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु हो जाने के कारण शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् दामोदर ठाकुर को प्रदत्त दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 16/1967 (कुमारखण्ड थाना) को रद्द किया जाता है।

श्री श्याम ठाकुर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने पिता स्व0 दामोदर ठाकुर को प्रदत्त एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 16/1967 (कुमारखण्ड थाना) मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

मे0 कोशी गन हाउस, सुपौल को निदेश दिया जाता है कि वे स्व0 दामोदर ठाकुर का एक दो नाली बन्दूक 44429 जो रसीद संख्या-92, दिनांक 05-12-2001 से आपके प्रतिष्ठान में जमा की गई है, उसे पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखेंगे। वगैर अनुमति के उक्त शस्त्र संबंधितों को हस्तगत नहीं करायेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी दामोदर ठाकुर के पुत्र श्री श्याम ठाकुर द्वारा एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 16/1967 (कुमारखण्ड थाना) की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा के उपरान्त शस्त्र पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर अपना हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 47 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 14/2/14

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा /थानाध्यक्ष, कुमारखण्ड/ मे0 कोशी गन हाउस, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्री श्याम ठाकुर, पिता- स्व0 दामोदर ठाकुर , सा0-मंगरवाड़ा, थाना- कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/02/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा